राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की 107 वी बैठक दिनांक 17.09.2012 का कार्यवाही विवरण

5 हेक्टे. से कम क्षेत्रफल के गौण खनिजों के उत्खनि पट्टों पर पूर्व पर्यावरण अनुमति (Prior Environmental Clearance) जारी करने के लिये गौण खनिजों का चिन्हांकन तथा उनकी संक्षिप्त प्रक्रिया हेतु निर्णय

(Identification of the Minor Minerals and decision regarding summary procedure for granting Prior Environmental Clearance in areas less than 5 ha.)

दिनांक 17.09.2012 को श्री अमर सिंह की अध्यक्षता में उपरोक्त विषयान्तर्गत म. प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की 107वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न उपस्थित थे:–

1. श्री एम. हाशिम — सदस्य
2. श्री मनोहर दुबे — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. दीपक कुमार विरूद्ध राज्य सरकार हरियाणा एवं अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, I.A. No. 12-13 of 2011 in SLP (C) no. 19628-19629 of 2009 के संबंध में दिनांक 27.02.2012 को जारी आदेश के परिपालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पत्र क्र. L-11011/47/2011-IA.II(M) दिनांक **18.05.2012 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन** में उल्लेखित है कि..... ***"सभी गौण खनिजों के उत्खनन, चाहे क्षेत्रफल जो भी हो, के लिये पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक होगी। अब 50 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल से लेकर 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के गौण खनिजों के खनन कार्य को बी श्रेणी में रखा जायेगा तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी होगी"।*** तदानुसार मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरणों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रकरणों का निराकरण किये जाने का ज्ञापन जारी किया गया है।

2. उक्त आशय में म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्र. एफ–14–29/2012/12/2, दिनांक 09.08.2012, दिनांक 24.08.2012, दिनांक 13.09.2012 के द्वारा सदस्य सचिव, SEIAA को संबोधित पत्र में 5 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल के गौण खनिज के उत्खनिपट्टों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 के तारतम्य में पर्यावरण अनुमति के संबंध में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। यदि 5 हेक्टेयर से कम की खनि पट्टों का श्रेणी बी–2 में निर्धारण किया जाता है तो EIA अधिसूचना के बिन्दु क्र. 7 के चरण–2 अनुसार स्कोपिंग के तहत टर्म ऑफ रिफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी एवं तीसरे चरण के तहत लोक सुनवाई की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप 5 हेक्टेयर से कम के उत्खनन पट्टों के संबंध में SEIAA द्वारा कम समय में शीघ्र पर्यावरण अनुमति जारी हो सकेगी।

(मनोहर दुबे)	(एम. हाशिम)	(अमर सिंह)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश रोड़ डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक के अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 6849 दिनांक 06.09.2012 द्वारा 5 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल में माइनिंग की पर्यावरणीय स्वीकृति को सरलीकृत करने का आग्रह किया गया है।

4. इस दौरान यह पाया गया कि 5 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल में उत्खनन के लिये MP-SEIAA के पास लगभग 150 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनमें से लगभग 130 आवेदनों का रजिस्ट्रेशन किया जाकर MP-SEAC के मूल्यांकन तथा अनुशंसा हेतु भेजा जा चुका है। आवेदनों का परीक्षण करने पार पाया गया कि रजिस्टर्ड आवेदनों में से (लगभग 60%) 79 आवेदन पत्थर बोल्डर खनन के हैं।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2012 तथा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 18.05. 2012 के परिप्रेक्ष्य में MP-SEIAA द्वारा आन्ध्रप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की SEIAA द्वारा 5 हेक्टेयर से कम के गौण खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय अनुमति जारी करने के बारे में उनके द्वारा लिये गये निर्णयों पर भी विचार किया गया।

6. **म.प्र. गौण खनिज नियम 1996** के अनुसार गौण खनिजों की दो अनुसूची है। **अनुसूची–एक** में विनिर्दिष्ट खनिजों का उल्लेख है जिनकी उत्खनन पट्टा समयावधि 5 से 10 वर्ष की होती है जबकि **अनुसूची–दो** में वर्णित (अन्य खजिन) खनिजों की कालावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। ऐसे खनिजों के लिये नियत समयावधि एवं नियत मात्रा के लिये अस्थाई अनुमति जारी करने का प्रावधान है।

7. उपरोक्त वर्णित बिन्दु क्र. 1 से 6 तक के तथ्यों पर सम्यक विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के अधोसंचरना विकास (भवन एवं सड़क निर्माण इत्यादि) तथा पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में उल्लेखित **अनुसूची–2 (अन्य खजिन)** में से निम्नांकित गौण खनिजों को चिन्हांकित किया गया :–

1. साधारण रेत, बजरी।
2. ईट, बर्तन, कवेलू आदि बनाने के लिये साधारण मिट्टी।
3. पत्थर, बोल्डर, रोड मेटल, गिट्टी, ढोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर, रबल, चिप्स।
4. मुरूम।
5. लाइम कंकर भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिये भट्टी में जलाकर उपयोग के लिये।
6. ग्रेवल।

उपरोक्तानुसार यह सुनिश्चित किया गया कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के उत्खनि पट्टों के उक्त गौण खनिजों की पर्यावरणीय अनुमति जारी करने के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करते हुए EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार इन्हें बी–2 श्रेणी में रखा जाये। इन प्रकरणों में SEAC के फील्ड विजिट की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होगी।

(मनोहर दुबे)
सदस्य सचिव

(एम. हाशिम)
सदस्य

5.10.12
(अमर सिंह)
अध्यक्ष

इसके अतिरिक्त 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में वर्णित **अनुसूची–1** तथा **अनुसूची–2** के अन्य गौण खनिजों के उत्खनि पट्टों के लिये पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया बी–1 श्रेणी के अनुरूप की जायेगी।

8. **उपरोक्तानुसार इसी तारतम्य में यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्र. 7 में उल्लेखित गौण खनिजों (क्रं. 1 से 6 तक) के प्रकरणों के लिये निम्नानुसार मापदण्ड होगें :–**

1. सभी प्रकरणों पर EIA नोटिफिकेशन 2006 में उल्लेखित सामान्य शर्तें (General Condition) लागू होंगी।

   यदि कोई भी परियोजना का पूर्ण हिस्सा या उसका कुछ भाग निम्नांकित चार की बॉउन्ड्री से 10 किमी के अन्दर स्थित है।

   I. *वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र।*
   II. *केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय–समय पर अधिसूचित क्रिटिकली पॉलूटेट एरिया।*
   III. *अधिसूचित इको–सेन्सिटिव क्षेत्र।*
   IV. *अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाउन्ड्री।*

2. मानव बसाहट, जलाशय, पुरातात्विक महत्व के स्थलों से दूरी 500 मीटर से कम न हो।
3. परियोजना के कारण किसी महत्वपूर्ण जलागम (Water Intake) या जलबहाव क्षेत्र में परिवर्तन न हो।
4. रेत खनन के मामले में रेत/बजरी खनन का कार्य नदी के तट से 15 मी. की दूरी या नदी की कुल चौड़ाई (पाट) के 1/5 भाग के बराबर दूरी, जो भी अधिक हो, पर खनन नहीं किया जायेगा।
5. नदी के Upstream एवं Down Stream में रेल/सड़क पुलिया, जल निकासी (Weirs) जलागम क्षेत्र (Water Intake) की खनन परिसर से दूरी 500 मी. से कम न हो।
6. जलीय जैव प्रजातियों को घोषित ब्रीडिंग स्थल 500 मी. की सीमा से कम न हो।
7. आरक्षित वन/संरक्षित वन से दूरी 250 मीटर से कम ना हो।
8. एक माइनिंग लीज से अन्य माइनिंग लीज की दूरी 250 मीटर से अधिक हो तथा यदि दो माइनिंग लीज के बीच की दूरी 250 मीटर से कम है तो इन दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम हो। यदि यह क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है तब पर्यावरणीय अनुमति के लिये बी–1 श्रेणी के प्रकरणों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।
9. परिसर से 1 किमी की दूरी में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों तथा गतिविधियों को दर्शाने वाला नजरी नक्शा प्रस्तुत करना होगा।
10. EIA नोटिफिकेशन 2006 के पैरा 7 में पर्यावरणीय अनुमति की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समस्त आवेदन SEAC की अनुशंसा हेतु भेजे जायेंगे।

(मनोहर दुबे)	(एम. हाशिम)	(अमर सिंह)
सदस्य सचिव	सदस्य	5.10.12 अध्यक्ष

11. आवेदन के साथ पर्यावरण प्रबंध स्कीम योजना प्रस्तुत की गई हो।

हालांकि गौण खनिज नियम 1996 के नियम 48 (अध्याय–8 पर्यावरण संरक्षण) में उल्लेखित है कि उत्खनन पट्टा का प्रत्येक धारक पर्यावरण प्रबंध स्कीम प्रस्तुत करेगा। नियम 49 के अंतर्गत रेत तथा बजरी के प्रकरण में इस नियम को शिथिल किया गया है परंतु इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि रेत तथा बजरी के लिये भी पर्यावरण प्रबंध स्कीम प्रस्तुत करनी होगी।

मापदण्ड निर्धारण के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इन प्रकरणों के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र–1 (फॉर्म–1), भू–स्वामित्व के रिकार्ड के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट–1 में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता द्वारा पर्यावरण प्रबंध स्कीम (परिशिष्ट–2 में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार) भी प्रस्तुत करनी होगी।

9. बिन्दु क्र. 8 पर दिये गये निर्धारित मापदण्डों की प्रमाणिक जानकारी के बारे में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि **परिशिष्ट–1 के सरल क्र. 1, 2 एवं 3** की जानकारी का प्रमाणीकरण वन मण्डला अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा **सरल क्र. 4 से 13** की जानकारी का प्रमाणीकरण संबंधित जिले/तहसील के उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। यह जानकारी आवेदनकर्ता स्वयं प्राप्त कर SEIAA कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

चर्चा के अन्त में यह निर्णय लिया गया कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के जो आवेदन प्राप्त हुए है उनके अधिकृत आवेदनकर्ता को लिये गये निर्णयों से अवगत कराया जाना है तथा निर्धारित किये गये **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** के अनुसार जानकारी प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रकरण जिनका पंजीयन कर SEAC को अप्रेजल हेतु भेज दिया गया है उन पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी होगी। इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा खनिज साधन विभाग, प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एवं वन मण्डला अधिकारियों को भी लिये गये निर्णय से अवगत कराया जाये तथा उनसे आवेदनकर्ता को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु पत्र लिखा जाये।

10. यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी लिये गये निर्णयों से अवगत कराया जाये। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगर बाद में 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के गौण खनिजों के पूर्व पर्यावरण अनुमति के संबंध में पृथक से प्रावधान EIA नोटिफिकेशन 2006 में किया जाता है अथवा पृथक से निर्देश जारी किये जाते हैं तो उनके अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई

(मनोहर दुबे)	(एम. हाशिम)	(अमर सिंह)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5.10.12

परिशिष्ट–1

5 हेक्टे. से कम क्षेत्रफल के गौंण खनिजों की पर्यावरणीय अनुमति के लिये मापदण्ड अनुसार निर्धारित बिन्दु

क्र	निर्धारित बिन्दु	हॉ/नहीं	जानकारी विवरण • क्र. 1 से 10 तक यदि हॉ है तो विवरण दें अन्यथा नहीं। • क्र. 11 से 14 तक जानकारी देना अनिवार्य है।
1.	क्या 10 किमी की परिधि में कोई नेशनल पार्क स्थित है ?		
2.	क्या 10 किमी की परिधि में कोई अभयारण्य स्थित है ?		
3.	क्या 10 किमी की परिधि में कोई घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित है ?		
4.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट स्थित है ?		
5.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय स्थित है ?		
6.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई नदी स्थित है ?		
7.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित है ?		
8.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय स्थित है ?		
9.	क्या 10 किती की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमा है ?		
10.	क्या 500 मीटर की दूरी पर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल स्थित है ?		
11.	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित उत्पादन		
12.	नदी से रेत खनन के प्रकरण में : (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है ? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है ?		

(मनोहर दुबे)
सदस्य सचिव

(एम. हाशिम)
सदस्य

A Singh 5.10.12
(अमर सिंह)
अध्यक्ष

13.	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्वपूर्ण जलागम (Water Intake) या जलबहाव क्षेत्र में परिवर्तन होगा? (यदि हॉ तो परिवर्तन का विवरण दें)		
14.	खनिज उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली मशीनों के नाम		

सत्यापन

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/श्रीमति ..... शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि बिन्दु 1 से 14 तक में दी गई समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की होगी तथा यदि इस आधार पर मेरा प्रकरण निरस्त होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
पूर्ण नाम एवं पता सहित

(मनोहर दुबे)
सदस्य सचिव

(एम. हाशिम)
सदस्य

5.10.12
(अमर सिंह)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

पर्यावरण प्रबंध स्कीम (Environment Management Scheme) तैयार करने के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु

1. उत्खनन पट्टा धारक का नाम और पता
2. क्षेत्र की विशिष्टियॉं
   - I. करारनामा के निष्पादन का दिनांक
   - II. कालावधि
   - III. क्षेत्र की सीमा
   - IV. खनिज
   - V. खसरा क्रमांक
   - VI. पंचायत एवं तहसील
   - VII. जिला
3. उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों की विशिष्टियॉं
4. पहले से ही बनाये गये सभी गड्ढों तथा पट्टे की सीमा (लीज भूमि) से 1 कि.मी. तक के सभी क्षेत्रों के ब्यौरों को दर्शाते हुए क्षेत्र का नक्शा
5. किये गये उत्खनन संक्रियाओं के ब्यौरे
6. वृक्षारोपण की स्कीम
7. क्षति पहुंची भूमि की निरंतर कृष्यकरण तथा पुनर्वास की स्कीम
8. वायु एवं पानी से प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण की स्कीम
9. कोई अन्य मामले जो पट्टेदार प्रस्तुत करना चाहता है
10. खनन प्रक्रिया के दौरान उपरी मिट्टी (Top Soil) को अलग से रखने का प्रावधान तथा उपयोग।
11. प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत आस–पास के क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के उपाय।
12. पर्यावरणीय प्रबंधन की बजटीय व्यवस्था।

सत्यापन

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/श्रीमति ..... शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि बिन्दु 1 से 12 तक में दी गई समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की होगी तथा यदि इस आधार पर मेरा प्रकरण निरस्त होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

पूर्ण नाम एवं पता सहित

(मनोहर दुबे)	(एम. हाशिम)	(अमर सिंह) 5.10.12
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष